

सां. : 5-1(34)/2008-PD

Dated 14.11.2023

प्रेषक : संयुक्त सचिव (प्रशासन)

सेवा में : सी.एस.आई.आर. की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों/मुख्यालय/एककों के निदेशक/प्रधान

विषय : वैज्ञानिक अपार्टमेंट्स के लाइसेंस शुल्क की संशोधित दरों के संबंध में।


महोदया/महोदय,

मुझे उपरोक्त विषय पर दिनांक 18.05.2012 के पत्र संख्या 12-28/1/2001-इस्टेट की ओर ध्यान आकर्षित करने और यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि शहरी विकास मंत्रालय, संपदा निदेशालय द्वारा जारी दिनांक 10.07.2023 के कार्यालय ज्ञापन सं. 18011/2/2015-पोल.III के अनुसार, महानिदेशक, सी.एस.आई.आर. ने वित्तीय सचिव, सी.एस.आई.आर. की सहमति से वैज्ञानिक अपार्टमेंट्स के लाइसेंस शुल्क की दरों को लिविंग एरिया के आधार पर निम्नानुसार संशोधन करने का निर्णय लिया गया है:

क्र. सं.	वैज्ञानिक अपार्टमेंट्स का प्रकार	लिविंग एरिया (वर्ग मी.)	संशोधित दरें (रु. में)
1	एक कमरे वाले वैज्ञानिक अपार्टमेंट्स	21.5 - 30	550
2	एक/ दो कमरों वाले का वैज्ञानिक अपार्टमेंट्स	30 - 40 से नीचे	780
3	दो / तीन कमरों वाले वैज्ञानिक अपार्टमेंट्स	40 - 50 से नीचे	920
4	दो / तीन कमरों वाले वैज्ञानिक अपार्टमेंट्स	50 - 60 तक	1070
5	तीन कमरों वाले वैज्ञानिक अपार्टमेंट्स	60 से ऊपर	1500
6	पाँच कमरों वाले वैज्ञानिक अपार्टमेंट्स	5 रूम	2550

2. बिजली और पानी के प्रभारों की वसूली अलग से की जाएगी।

3. यह आदेश 01.07.2023 से प्रभावी होगा।

भवदीय,  
  
(छेरिग तोबदन)  
वरिष्ठ उप सचिव (नीति)

प्रतिलिपि :

1. सी.एस.आई.आर. की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों/मुख्यालय/एककों के व. उप सचिव/व. प्रशासन नियंत्रक/ उप सचिव/ प्रशासन नियंत्रक/अवर सचिव/ प्रशासनिक अधिकारी
2. सी.एस.आई.आर. की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों/मुख्यालय/एककों के व. उप वित्तीय सलाहकार/व. वित्त एवं लेखा नियंत्रक/ उप वित्तीय सलाहकार/ वित्त एवं लेखा नियंत्रक/वित्त एवं लेखा अधिकारी
3. सीएसआईआर वेबसाइट
4. कार्यालय प्रति

No. : 5-1(34)/2008-PD

Dated 14.11.2023

From : Joint Secretary (Admn.)

To : The Directors/Heads of all CSIR National Labs/Instts/Units

Sub. : Revised Rates of Licence fee for Scientist Apartments - reg.

Madam/Sir,

I am directed to invite your kind attention to the CSIR letter No. 12-28/1/2001-Estate dated 18.05.2012 on the subject matter and to inform that the DG, CSIR, with the concurrence of FA, CSIR, has decided to revise the rates of Licence Fee for Scientist Apartments based on the living area in accordance with Ministry of Urban Development, Directorate of Estates OM No.18011/2/2015-Pol.III dated 10.07.2023, as under:

Sl. No.	Type of Scientist Apartments	Living Area (Sq.mt)	Revised Rates (In Rs.)
1.	Single Room Scientist Apartments	21.5 to 30	550
2.	Single/ Double Room Scientist Apartments	30 - below 40	780
3.	Double/ Three Room Scientist Apartments	40 - below 50	920
4.	Double/ Three Room Scientist Apartments	50 - up to 60	1070
5.	Three Room Scientist Apartments	above 60	1500
6.	Five Room Scientist Apartments	5 Room	2550

2. The electricity and water charges shall be recovered extra.
3. This order will come into force with effect from 01.07.2023.

Yours faithfully,

  
(Chhering Tobden)  
Sr. Deputy Secretary (PD)

Copy to:

1. Sr. DS/Sr. CoA/DS/CoA/US/AO of all CSIR National Labs/Instts/Hqrs./Units
2. All Sr. DFA/Sr. COFA/DFA/COFA/FAO of all CSIR National Labs/Instts/Hqrs./Units
3. CSIR Website
4. Office Copy